

अपार्षाणा गौरी की मूर्ति पुनर्वसुति नहीं करे एवं नीक
नीक नहीं लोडे / यथा मूर्ति काले वरि / पञ्चाङ्ग के हिस
शुद्ध होकर इस मूर्ति को शीघ्र लाने का हुक्म है। तथा
पञ्चाङ्ग के अनुसार ही लाना रहे।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

मिठाने का पत्र दिनांक 4-5-18 को रायपुर लोक
अदालत अजमेर - यथा काबरे 5/11-2018 के मू के अर्ह,
पलदावा में श्रे अर्ह पुनर्मा उम्मा।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

[Faint, mostly illegible handwritten text follows, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

5/18